राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 923/2025

श्रीमति ममता मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 12.02.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, कैवियटर

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की तरफ से संशोधित अपील प्रस्तुत कर उसे रिकॉर्ड पर लेने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना। संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति राज्य सरकार के आदेशानुसार चिकित्सा विभाग में हुई थी। वर्तमान में अपीलार्थी नर्सिंग अधिकारी के पद पर जे के लोन चिकित्सालय कोटा में पदस्थापित है। अपीलार्थी को अपनी सेवा के दौरान आज तक कोई शिकायत नहीं रही है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण एम डी एम चिकित्सालय जोधपुर में आदेश दिनाक 15–1–2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा कर दिया, जबकि अपीलार्थी की जगह किसी को भी पदस्थापित नहीं किया गया है। अपीलार्थी के पति भी वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद पर चिकित्सालय कोटा में पदस्थापित है। अपीलार्थी के पति का भी स्थानान्तरण एम डी एम चिकित्सालय जोधपुर में कर दिया । इस प्रकार अपीलार्थीया का नाम आलौच्य आदेश में क्रम संख्या 73 पर और अपीलार्थीया के पति का नाम 72 पर अंकित है। अपीलार्थी के बच्चे अध्ययनरत है और वर्तमान में 16 मार्च से बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जा रही है मिड सेशन में बच्चों को अन्य विद्यालय में ले जाना सम्भव नहीं है बच्चों के शिक्षा व भविष्य पर प्रभाव है तथा अपीलार्थी के सास ससुर वृद्ध है अपीलार्थी तथा उसके पति दोनो का स्थानान्तरण जोधपुर हो जाने के कारण उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक निर्णय सिविल अपील 1243/2023 में स्पष्ट कहा है कि स्थानान्तरण करते समय उसकी पारिवारिक परिस्थितियों को मध्य नजर रखने चाहिये। वर्ष

2010 में 25 विभाग पंचायत राज विभाग के अधीन आ गये चिकित्सा विभाग भी पंचायत राज विभाग के अधीन आ गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15–1–2025 को पारित किया गया है उसमें सहमति नहीं ली गई है। राजस्थान पंचायती राज क्रिया कलाप नियम 2011 में स्पष्ट है कि एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति तथा एक पंचायत समिति से एक ही पंचायत समिति में स्थानान्तण किया जाता है तो 8(1) लागू होगा एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानान्तरण किया जाता है तो 8 (2) लागू होता है यदि एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण किया जाता है तो 8 (3) लागू होता है। हस्तगत प्रकरण में पंचायत राज विभाग की सहमति नहीं ली गई है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15–1–2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओ को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में नर्सिंग अधिकारी के पद पर जे के लोन चिकित्सालय कोटा में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण जे के लोन चिकित्सालय कोटा से एम डी एम चिकित्सालय जोधपुर में आदेश दिनाक 15–1–2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा कर दिया। बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी के पति भी वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद पर चिकित्सालय कोटा में पदस्थापित है। अपीलार्थी के पति का भी स्थानान्तरण एम डी एम चिकित्सालय जोधपुर में कर दिया। अपीलार्थी के बच्चे अध्ययनरत है और वर्तमान में 16 मार्च से बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जा रही है। मिड सेशन में बच्चों को अन्य विद्यालय में ले जाना सम्भव नहीं है तथा अपीलार्थी के सास ससुर वृद्ध है अपीलार्थी तथा उसके पति दोनो का स्थानान्तरण जोधपुर हो जाने के कारण उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जिससे अपीलार्थी को बहुत कठिनाई और पारिवारिक असुविधा होगी। अपीलार्थी के स्थान पर किसी को पदस्थापित भी नहीं किया है। अतः आलौच्य आदेश निरस्त कर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान जे के लोन चिकित्सालय कोटा में नर्सिंग अधिकारी के पद पर ही पदस्थापित रखे जाने का निवेदन जारी किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया। जहां तक पंचायती राज विभाग से सहमति का विषय है, आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि चिकित्सा मंत्री को पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार आवंटित है। मंत्रीमंडल सचिवालय की विज्ञप्ति दिनांक 15.03.2024 से यह स्पष्ट है कि चिकित्सा मंत्री को पंचायती राज के अधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार आवंटित किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि सक्षम सहमति के पश्चात आलौच्य आदेश प्रसारित किया गया है। आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है। आलौच्य आदेश में हम

नियमों का उल्लघंन या कोई दुर्भावना नहीं पाते है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। प्रशासनिक निर्णय/आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक की निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो। अपीलार्थी अपनी पारिवारिक परेशानियों के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु सदैव स्वतंत्र है।

अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर निस्तारित किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)